

मूलभूत भोजन पात्रता आवश्यकताएं:

अपने बेनिफिट्स प्राप्त करना जारी रखने के लिए आपको जो जानना चाहिए

Basic Food Eligibility Requirements: What You Need to Know to Keep Your Benefits

यदि आप काम न करते/करती हैं तो आपके बेनिफिट्स समय - सीमित होते हैं

हम मूलभूत भोजन के लिए आपको बिना आश्रितों के सक्षम शरीर वाले वयस्क (ABAWD) मानते हैं क्योंकि आप काम कर सकते/सकती हैं और आपके परिवार में कोई बच्चे नहीं हैं।

यदि आप कार्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते/करती हैं तो आप हर 36 महीनों में तीन महीने मूलभूत भोजन बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

अपने मूलभूत भोजन बेनिफिट्स प्राप्त करना जारी रखने के तरीके

अपने बेनिफिट्स को तीन महीने से अधिक समय तक जारी रखने के लिए आपको इन गतिविधियों में से एक या अधिक करनी होंगी:

- हर महीने वर्कफेर कार्यक्रम के दौरान वॉलंटियर कार्य पूरा करना। आपकी मासिक बेनिफिट राशि आपको अपने भोजन संबंधी बेनिफिट्स प्राप्त करना जारी रखने के लिए जितने घंटे वॉलंटियर करना पड़ेगा उनकी संख्या निर्धारित करती है।
- औसत सप्ताह में कम से कम 20 घंटे या फिर महीने में 80 घंटे काम करें।
- सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त इन रोजगार या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से किसी में हिस्सा लें:
 - बेज़िक फूड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग (BFET मूलभूत भोजन रोजगार और प्रशिक्षण)। अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएं www.dshs.wa.gov/bfet;
 - वर्कफोर्स इनोवेशन एंड अपोर्च्युनिटी एक्ट (WIOA - कार्यदल नवोन्मेष एवं अवसर कानून) में शामिल कार्यक्रम। अधिक जानकारी के लिए यहाँ जाएं <https://www.dshs.wa.gov/esa/community-services-offices/wioa>;
 - AmeriCorps VISTA; या
 - लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशियन्सी (LEP - सीमित अंग्रेज़ी कौशल) पाथवे।

सहभागिता में अवरोध

यदि आप महीने में इन कारणों से कम से कम 80 घंटे हिस्सा लेने में अक्षम हों तो हम से संपर्क करें:

- आप शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हैं;
- आपको लेबर एंड इंडस्ट्रीज़ (L&I - श्रम व उद्योग), वेटरन्स एडमिनिस्ट्रेशन (सैनिक प्रशासन), या निजी अक्षमता बीमा से बेनिफिट्स प्राप्त हो रहे हों;
- आप किसी ऐसी परिस्थिति में रहते/रहती हैं जो कि नौकरी पर रखे जाने को असंभव बनाती हो, जैसे कि लंबे समय से बेघर होना;
- किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करना जो कि आयु या अक्षमता के कारण खुद की देखभाल नहीं कर सकते हैं;
- केमिकल डिपेन्डन्सी उपचार या पुनर्वसन कार्यक्रम में हिस्सा लेना;
- अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के लिए आवेदन किया होना या प्राप्त कर रहे होना;
- कम से कम आधा समय स्कूल में नामांकित होना; या
- रेपयुजी कैश आसिस्टन्स बेनिफिट्स या मैचिंग ग्रांट फंड्स प्राप्त करते होना।

आपको जिनकी रिपोर्ट करनी चाहिए वह बातें

आपको हमें बताना होगा यदि:

- आप महीने में सहभागिता घंटों की आवश्यक संख्या पूरी नहीं कर सकते/सकती।
- आपका काम सप्ताह में 20 घंटे से कम हो जाए।
- आपके परिवार की आय WAC 388-478-0060 में बतायी सीमा से बढ़ जाए।

आप ABAWD आवश्यकताओं के बारे में और जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते/सकती हैं www.dshs.wa.gov/abawd।

यदि आपको प्रश्न हों, किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ने में मदद की आवश्यकता हो, या परिवर्तन की रिपोर्ट करनी हो तो हमें 1-877-501-2233 पर कॉल करें।

आप बेनिफिट्स के लिए आवेदन करने, रिव्यू जमा कराने या परिवर्तनों की रिपोर्ट करने के लिए www.washingtonconnection.org पर हमारी मुलाकात कर सकते/सकती हैं।